राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:–

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 87 / 2016

जीसीएमएस नम्बर :– 2016 / 00101

हरपाल पुत्र श्री जीसुखराम उम्र 67 साल जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

– बनाम –

1. हजारी पुत्र श्री मंगला जाति अहीर निवासी सहड़ हाल आबाद इन्द्रसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. विद्यादेवी पत्नी श्री गजानन्द जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
3. सुबेसिंह पुत्र श्री गजानन्द जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
4. बलदेव पुत्र श्री गजानन्द जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
5. विजयपाल पुत्र श्री गजानन्द जाति अहीर निवासी सहड तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
6. लालचन्द पुत्र श्री भोजाराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
7. कैलाश पुत्र श्री प्रभाती जाति खाती निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
8. दयाराम पुत्र श्री प्रभाती जाति खाती निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
9. सुशीला पत्नी श्री सतपाल जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
10. केवलसिंह पुत्र श्री प्रभाती लाल जाति अहीर निवासी सहड तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
11. सत्यपाल पुत्र श्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
12. महेन्द्रपाल पुत्र श्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
13. बलवीर पुत्र श्री हमीरा जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
14. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:40:45 IST
Reason: SelfAttested

दावा – घोषणात्मक, रिकार्ड [illegible] विभाजन

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक 21/4/25

उपस्थिति:–

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

1. वादी की ओर से :– श्री राजेश कुमार यादव अधिवक्ता।
2. प्रतिवादी संख्या 9 व 12 की ओर से :– श्री मनु यादव अधिवक्ता।
3. प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5, 6 की ओर से :– श्री अशोक यादव अधिवक्ता,
4. प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से :– श्री जगदेव यादव,अधिवक्ता।
5. प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से :– श्री रोहित पोषववाल अधिवक्ता,
6. शेष प्रतिवादीगण 2, 8, 10, 11 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से वाद पत्र निम्नानुसार पेश किया कि– वाके ग्राम सहड तहसील बुहाना स्थित भूमि गत ख.न. 611 रकबा 2बीघा 9 बिस्वा का खातेदार जगन व भोजाराम पुत्रान गणेशाराम जाति अहीर निवासी सहड़ खातेदार थें जिनमें जगन नाऔलाद अविवाहित फौत हो चुका हैं जिसका एक मात्र उतराधिकारी उसका भाई भोजाराम ही था भोजाराम ने उपरोक्त भूमि में से गत ख.न. 611 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा सम्पूर्ण का बेचान वादी को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.05.1984 को बेचान कर दिया एवं उसी समय वादी का गत ख.न. 611 पर कब्जा दिलवा दिया तभी से वादी बिना किसी बाधा के शान्तिपूर्वक काबिज कास्त हैं वादी की खरीदशुद्धा इस भूमि के पश्चिम में गजानन्द , प्रभाती लाल की भूमि गत ख.न. 610 थी तथा इसके उतर मे विश्म्भर पुत्र श्री प्रताप वर्गे. की भूमि हाल ख.न. 810 स्थित हैं इस बाबत विक्रय पत्र में भी चतुर्थ सीमाये वर्णित की गई हैं।

भूमि गत ख.न. 611 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वादी द्वारा खरीदने के पश्चात वादी का आज तक बिना किसी बाधा के शान्तिपूर्वक कब्जा हैं जिस समय वादी ने यह भूमि खरीदी थी उक्त वक्त बन्दोबस्त विभाग के पास रिकार्ड था।

गत ख.न. 611 से बन्दोबस्त ने नये ख.न. 808 रकबा 0.21 हैं तथा हाल ख.न. 809 रकबा 0.98 हैं बनाये जाना तथा गत ख.न. 610 का रकबा भी हाल ख.न. 809 में शामिल होना मिलान क्षेत्रफल में दर्शाया हैं लेकिन जिस स्थान पर हाल ख.न. 808 स्थित हैं उस स्थान के गत ख.न. 610 थें तथा वर्तमान ख.न. 808 के पूर्व में जिस स्थान पर हाल ख.न. 809 का भाग दिखाया गया हैं वहॉ गत ख.न. 611 स्थित था इस प्रकार बन्दोबस्त ने गत ख.न. 610 व 611 जिस स्थान पर स्थित थें उनसे बनाये गये नये ख.न. को नक्शे में उनके अनुरूप नही दर्शाया जाकर गलत दर्शाया हैं नक्शा गत ख.न. 610 व 611 एवं हाल ख.न. 808 व 809 की तुलना करने से स्थिति स्पष्ट हैं कि हाल ख.न. 808 गत ख.न. 610 से बना हैं तथा हाल ख.न. 808 के दक्षिण की तरफ हाल ख.न. 809 का भाग गत ख.न. 610 से बना हैं तथा हाल ख.न. 808 से पूर्व का भाग गत ख.न. 611 की भूमि 2 बीघा 9 बिस्वा अर्थात्0.62 हैं रकबा को हाल बन्दोबस्त ने वर्तमान ख.न. 809 रकबा 0.98 हैंक्टर में शामिल कर दिया हैं तथा गलत रूप [illegible] ख.न. 808 को गत ख.न. 611 से बनना मिलान क्षेत्रफल में दर्शाया हैं जब[illegible] 2 बीघा 5 बिस्वा से हाल ख.न. 808 रकबा 0.21 हैंक्टर निर्मित हुये हैं [illegible] रकबा 0.98 हैंक्टर में गत ख.न. 610 का 0.36 हैंक्टर रकबा शामिल हुआ हैं इस प्रकार गत [illegible].न. 610 के खातेदार प्रतिवादी स. 1 [illegible]गायत 13 का 2 बीघा 5 बिस्वा रकबा हाल ख.न. 808 सम्पूर्ण व 809 का 0.36 हैंक्टर रकबा हैं [illegible]किन बन्दोबस्त विभान ने मिलान क्षेत्रफल गलत बना दिया तथा इस सम्पूर्ण भूमि से बने हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:40:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

ख.न. 808 का खातेदार विक्रेता भोजाराम को दर्ज कर दिया एवं हाल ख.न. 809 सम्पूर्ण के खातेदार प्रतिवादी स. 1 लगायत 13 व उनके हकपूर्वाधिकारीयो को दर्ज कर दिया इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग ने बिना सिकी समक्ष न्यायालय के निर्णय अथवा डिक्री के उक्त प्रवृष्टिया की हैं जो कानून की नजर में शुन्य एवं प्रभावहीन हैं।

बन्दोबस्त के बाद नामान्तरकरण स. 13 के द्वारा हाल ख.न. 808 का रकबा 0.62 हैंक्टर दर्ज कर दिया हैं तथा हाल ख.न. 809 का रकबा 0.98 हैंक्टर की बजाय 0.57 हैंक्टर रकबा दर्ज किया गया हैं इस सम्बध में इन्तकाल न. 14 दर्ज किया गया हैं जिसका नोट जमाबन्दी सवत् 2045 से 48 में लगाया गया हैं भूमि हाल ख.न. 808 का रकबा 0.21 हैंक्टर की बजाय 0.62 हैंक्टर दर्ज कर उसका खातेदार वादी को दर्ज किया गया हैं लेकिन उसके नक्शे में कोई परिवर्तन नही किया गया हैं नक्शे की आकृति पूर्व की भांति 0.21 हैंक्टर के रूप में बनी रही तथा हाल ख.न. 809 का जमाबन्दी में रकबा 0.57 हैंक्टर रकबा दर्ज कर दिया गया लेकिन नक्शे की आकृति पूर्व की भांति 0.98 हैक्टर बनी रही राजस्व रिकार्ड की यह स्थिति सवत् 2056 तक बनी रही।

यह कि सवत् 2056 के बाद राजस्थान में राजस्व रिकार्ड को कम्पयूटर में दर्ज कर ऑन लाईन किया गया तो हाल ख.न. 808 का रकबा पूर्व की भांति 0.21 हैंक्टर दर्ज कर इसका खातेदार वादी को कायम कर दिया तथा हाल ख.न. 809 का रकबा 0.98 हैंक्टर दर्ज कर दिया तथा इसकी खातेदारी प्रतिवादी स. 1 लगायत 13 व उनके हकपूर्वाधिकारीयो के नाम दर्ज कर दी गई इस प्रकार राजस्व कर्मचारीयो ने अपनी मनमर्जी से राजस्व रिकार्ड में बिना किसी सक्षम न्यायालय के निर्णय व डिक्री के राजस्व रिकार्ड में अपनी मर्जी से बार – बार परिवर्तन कर दिया एवं राजस्व रिकार्ड में विधि विरूद प्रवृष्टिया कर दी।

वाद वर्णित भूमि गत ख.न. 611 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा से हाल ख.न. 809 का 0.62 हैक्टर रकबा बना हैं तथा शेष 0.36 हैंक्टर रकबा गत ख.न 610 का इसमें शामिल हुआ हैं तथा हाल ख.न. 808 रकबा 0.21 हैंक्टर गत ख.न. 610 से बना हैं इस प्रकार गत ख.न. 610 के रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा से मिट्रिक प्रणाली में 0.57 हैंक्टर रकबा बनता हैं जो हाल ख.न. 808 व 809 में शामिल हैं इस प्रकार वादी हाल ख.न. 809 रकबा 098 हैं. में से 0.62 हैक्टर रकबा के बाबत अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने का अधिकारी हैं तथा इसमें से 0.36 हैक्टर रकबा एवं हाल ख.न. 808 रकबा 0.21 हैक्टर के खातेदार प्रतिवादी स. 1 लगायत 13 दर्ज किये जाने योग्य है।

बन्दोबस्त विभाग द्वारा गत ख.न. 611 व 610 से हाल ख.न. 809 कायम करने व हाल ख. 808 को गलत रूप से गत ख.न. 611 से बनना दर्ज करने व हाल ख.न. 809 सम्पूर्ण की खातेदारी प्रतिवादी स. 1 लगायत 13 व उनके हकपूर्वाधिकारी के नाम दर्ज कर देने वे उसके बाद गलत रूप से हाल ख.न. 808 का रकबा 0.21 हैंक्टर के स्थान पर 0.62 हैंक्टर रकबा दर्ज कर देने व राजस्व रिकार्ड का कम्पयूटरीकरण करते समय हाल ख.न. 808 का रकबा फिर से 0.21 हैक्टर दर्ज कर देने से वादी को ऐसी अपूर्तनीय क्षति है जिसका धन में मूल्याकंन नही किया जा सकता है।

दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि गत ख.न. 611 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा वादी द्वारा पंजिकृत विक्रय पत्र से खरीद कर काबिज होना तथा बन्दोबस्त विभाग द्वारा गत ख.न. 610 व 611 से हाल ख.न. 808 व 809 कायम करने तथा हाल ख.न. 808 गत ख.न. 610 से बनने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:40:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बावजूद उसे गत ख.न. 611 से बनना दर्ज करने तथा वादी का हाल ख.न. 809 में 0.62 हैक्टर रकबा होने तथा वादी के नाम केवल 0.21 हैक्ट रकबा हाल ख.न. 808 के रूप में दर्ज करने तथा मौके पर जहाँ ख.न. 808 नक्शे में दर्शाया है उसकी खातेदारी गलत रूप से वादी के नाम दर्ज करने तथा वादी की भूमि गत ख.न. 611 से बने हाल ख.न. 809 की खातेदारी प्रतिवादी स. 1 लगायत 13 के नाम दर्ज करने से पैदा हुआ है अतः दावा अन्दर मियाद है।

खातेदार सत्यनारायण नाऔलाद अविवाहित फौत हो चुका है तथा उसका भाई गजानन्द की भी मृत्यु हो चुकी हैं प्रतिवादी स. 2 लगायत 5 खातेदार सत्यनारायण व गजान्नद के उतराधिकारी हैं खातेदार सोमदत की मृत्यु हो चुकी हैं प्रतिवादी स. 10 लगायत 12 उसके उतराधिकारी है तथा खातेदार पवन कुमार भी नाऔलाद अविवाहित फौत हो चुका हैं प्रतिवादी स. 10 उसका उतराधिकारी हैं चुंकी वादी का उक्त भूमि की खातेदारी मे हिस्सा किस प्रकार रहेगा इस बाबत कोई कथन नही है। लेकिन जो फौत हो चुके हैं उनके स्थान पर कानूनी प्रावधानों के अनुसार नाम दर्ज किया गया है। अंत में अनुतोष चाहा गया है कि –

वाके ग्राम सहड स्थित भूमि हाल ख.न. 809 रकबा 0.98 हैक्टर में वादी को 0.62 हैक्टर का खातेदार घोषित किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एव वादी के इस 0.62 हैक्टर रकबा का खाता भी अलग से विभाजित किये जाने कि कृपा करें।

वाके ग्राम सहड़ स्थित भूमि हाल ख.न. 808 रकबा 0.21 हैक्टर की खातेदारी से वादी का नाम हटाया जाकर हाल ख.न. 808 रकबा 0.21 हैक्टर तथा हाल ख.न. 809 में से 0.62 हैक्टर रकबा को वादी को खातेदार घोषित किये जाने के बाद शेष रहे 0.36 हैक्टर रकबा अर्थात् कुल 0.57 हैक्टर रकबा के खातेदार भूमि हाल ख.न. 177, 286, 293, 390, 515, 542, 726, 728, 770 के अनुसार बदस्तूर जमाबन्दी दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जो कि कृपा करें।

प्रतिवादी सं. 1,3,4,5,9,12 ने भी वादी के दावे को स्वीकार कर इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया।

प्रतिवादी सं. 6 की ओर से इकबालीया जवाबदावा के साथ प्रतिदावा बाबत खाता विभाजन पेश किया गया कि ग्राम सहड़ तह. बुहाना स्थित भूमि हाल ख.न. 177, 286, 293, 390, 515, 542, 726, 728, 770, 809 किता 10 कुल रकबा 4.28 हैक्टर मे प्रतिदावाकर्ता/ प्रतिवादी स. 6 का 0.28 हैक्टर रकबा हिस्सा हैं जिसका वह खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रतिदावाकर्ता/ प्रतिवादी स. 6 ने उक्त 0.28 हैक्टर रकबा जरिए रजिस्ट्रर विक्रय पत्र से खरीद किया था तथा खरीद करने के बाद से ख.न. 390 रकबा 0.28 हैक्टर पर काबिज कास्त है। प्रतिदावाकर्ता/ प्रतिवादी स. 6 का कब्जा कास्त ख.न. 390 रकबा 0.28 हैक्टर सबकी जानकारी मे एवं खुल्ले रूप से खरीद करने के पश्चात से ... अब तक है। इसलिए उक्त ख.न. 390 प्रतिदावाकर्ता को खाता विभाजन मे ... भूमि का खाता विभाजन

प्रतिदावाकर्ता/ प्रतिवादीस. 6 अपने ... संयुक्त होने से प्रतिदावाकर्ता को कर सुधार कार्य करने बाबत ऋण आदि लेना चाहता है। ख... भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है। प्रतिदावाकर्ता अपने हिस्सा का खाता विभाजन करवाने का अधिकारी हैं।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:40:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 13 की ओर जवाबदावा मय प्रतिदावा बाबत घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती एवं खाता विभाजन इन तथ्यो के साथ पेश किया कि वाके ग्राम सहड स्थित आराजी गत ख.न. 250 रकबा 12 बिस्वा , गत ख.न. 464 रकबा 1 बीघा 9 बीस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा का खातेदार प्रतिवादी सं. 1 था जिससे दिनांक 12.06.1978 को बील एवज 5,000/ रूपये में प्रतिवादी सं. 13 ने खरीदी थी तथा उक्त खरीद शुदा जमीन की किमत बेचानकर्ता प्रतिवादी सं. 1 को उसी रोज अदा कर कब्जा भी इस जमीन का उसी रोज ले लिया था तथा उक्त दिवस को विक्रेता प्रतिवादी सं. 13 ने प्रतिवादी सं. 13 के हकमे तत्कालीन उप–पंजीयक साहब खेतडी के यहा विक्रय पत्र तस्दीक व तकमील करवा दिया है।

विक्रय की तिथि से लगातार आजकत बिना किसी बाधा या रूकावट के प्रतिवादी सं. 13 अपनी इस जमीन पर काबिज कास्त है।

उक्त भूमि के हाल बन्दोबस्त के समय नया रिकार्ड बना उसके मुताबिक गत ख.न. 250 रकबा 12 बिस्वा का नया खसरा 177 रकबा 0.15 है0 तथा गत ख.न. 464 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा था जिसके मीन खसरा हाल ख.न. 726 रकबा 0.38 है. ख.न. 728 रकबा 0.36 है.निर्मित कर दिये।

दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के अभिवचनों का खण्डन नहीं किए जाने के कारण कोई तनकी कायम नही की गई।

वादी द्वारा भूमि गत खसरा नम्बर 611 में से 2 बीघा 9 बिस्वा भूमि जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18.05.1984 को खरीद की गई है। उसके बाद मुताबिक मिलान क्षेत्रफल भूमि गत खसरा नम्बर 611 से हाल खसरा नम्बर 809 व 808 कायम किए गए। ख.न. 808 की खातेदारी बन्दोबस्त विभाग ने भोजा पुत्र गणेश के नाम दर्ज की एवं ख.न. 809 को अन्य कृषि भूमि के साथ रखते हुये इसकी खातेदारी शेष प्रतिवादी के नाम दर्ज की गई ख.न. 808 का रकबा 0.21 है. एवं ख.न. 809 का रकबा 0.98 है. दर्ज किया गया है। इसके बाद जमाबन्दी संवत 2045 मे ख.न. 808 रकबा 0.21 है. का रकबा 0.62 है. दर्ज की गई अर्थात भोजाराम विक्रेता का नाम हटाया जाकर वादी को उसमे खरीद शुदा रकबा के खातेदार घोषित किया गया है। तथा ख.न. 809 का रकबा 0.57 है. दर्ज किया गया है संवत 2053 से 2056 तक की जमाबन्दी में यही स्थिति रही है उसके बाद समत 2057 से 2060 की जमाबन्दी में ख.न. 809 का रकबा फिर से 0.98 है. दर्ज किया गया एवं ख.न. 808 का रकबा 0.21 है. दर्ज कर उसकी खातेदारी वादी के नाम दर्ज कर दी है। उसके बाद से यह गलती फिर से दौहराई जाती रही है इस प्रकार वादी अपने खरीद शुदा भूमि रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा अर्थात 0.62 है. रकबा का खातेदार घोषित किये जाने योग्य है। तथा प्रतिवादी सं. 6 व प्रतिवादी सं. 13 भी अपने हिस्से व कब्जा के अनुसार खाता विभाजन करवाने व वादी भी अपने 0.62 है. रकबा का खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:40:45 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.06.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 213 दिनांक 19.06.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2469 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रस्ताव का अध्ययन किया गया उभयपक्षकार के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नहीं किया है।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम सहड़ स्थित भूमि हाल खाता संख्या 243, 229, उभयपक्षकार के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

" न्यायालय वाद वादी प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 6 व 13 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वादी को भूमि ख.न. 809 रकबा 0.98 है. मे से 0.62 है. का खातेदार घोषित किया जाता है तथा ख.न. 809 के 0.36 है.रकबा की खातेदारी बदस्तुर जमाबन्दी रहेगी, एवं ख.न. 808 की खातेदारी से वादी का नाम हटा कर ख.न. 808 की खातेदारी ख.न. 809 के शेष रहे रकबा 0.36 है. के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 लगायत 13 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 13 के हिस्से एवं कब्जा अनुसार भूमि ख.न. 177, 286, 293, 390, 515, 542, , 726, 728, 770 का खाता विभाजन व ख.न. 808 एवं 809 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:40:45 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 21/4/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 87 / 2016 जीसीएमएस नम्बर – 2016 / 00101

हरपाल पुत्र श्री जीसुखराम उम्र 67 साल जाति अहीर निवासी साहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

– बनाम –

1. हजारी पुत्र श्री मंगला जाति अहीर निवासी साहड़ हाल आबाद इन्द्रसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
2. विद्यादेवी पत्नी श्री गजानन्द जाति अहीर निवासी साहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
3. सुबेसिंह पुत्र श्री गजानन्द जाति अहीर निवासी साहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
4. बलदेव पुत्र श्री गजानन्द जाति अहीर निवासी साहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
5. विजयपाल पुत्र श्री गजानन्द जाति अहीर निवासी साहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
6. लालचन्द पुत्र श्री भोजाराम जाति अहीर निवासी साहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
7. कैलाश पुत्र श्री प्रभाती जाति खाती निवासी साहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
8. दयाराम पुत्र श्री प्रभाती जाति खाती निवासी साहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
9. सुशीला पत्नी श्री सतपाल जाति अहीर निवासी साहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
10. केवलसिंह पुत्र श्री प्रभाती लाल जाति अहीर निवासी साहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
11. सत्यपाल पुत्र श्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी साहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
12. महेन्द्रपाल पुत्र श्री प्रभातीलाल जाति अहीर निवासी साहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
13. बलवीर पुत्र श्री हमीरा जाति अहीर निवासी साहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)
14. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:40:45 IST
Reason: SelfAttested

दावा – घोषणात्मक [illegible] विभाजन

वादी की ओर से वादी की ओर से श्री राजेश कुमार यादव अधिवक्ता की उपस्थित मे प्रतिवादी संख्या 1, 3, 5, 6 की ओर से श्री अशोक यादव अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से श्री जगदेव तथा प्रतिवादी संख्या 9 व 12 की ओर से श्री मनु यादव अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 13 की ओर से श्री रोहित पोषवाल अधिवक्ता की यादव,अधिवक्ता,

...अधिकारी बुहाना

उपस्थित मे तथा शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद को **श्री सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 6 व 13 डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः (1) वादी को भूमि ख.न. 809 रकबा 0.98 है. मे से 0.62 है. का खातेदार घोषित किया जाता है तथा ख.न. 809 के 0.36 है.रकबा की खातेदारी बदस्तुर जमाबन्दी रहेगी, एवं ख.न. 808 की खातेदारी से वादी का नाम हटा कर ख.न. 808 की खातेदारी ख.न. 809 के शेष रहे रकबा 0.36 है. के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 लगायत 13 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 13 के हिस्से एवं कब्जा अनुसार भूमि ख.न. 177, 286, 293, 390, 515, 542, , 726, 728, 770 का खाता विभाजन व ख.न. 808 एवं 809 का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब–1" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 21/4/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुंझुनूं (राज.)
भू-प्रबन्ध सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:40:45 IST
Reason: SelfAttested